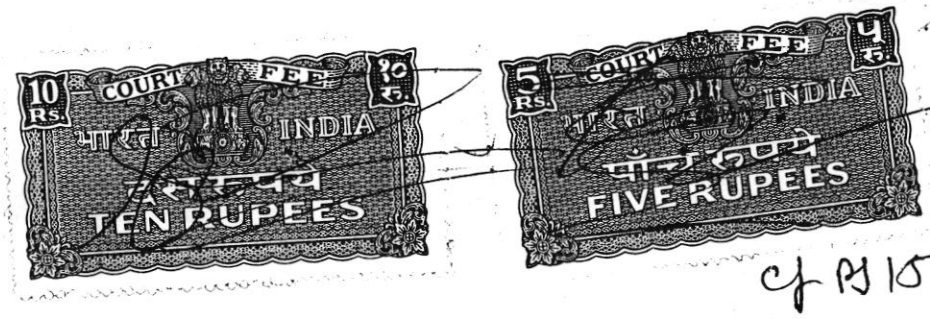

103

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2006 पुनरीक्षण

R 1880-II/2006

सुरेन्द्रकुमार पुत्र माधरीशरण
निवासी ग्राम रामनगर तहसील निवाडी
जिला टीकमगढ --------- आवेदक

विरूद्ध

बालमुकुन्द तनय लक्ष्मण चौरसिया
निवासी ग्राम रामनगर तहसील निवाडी
जिला टीकमगढ --------- अनावेदक

अपर आयुक्त सागर संभाग ध्दारा प्र0क्र0 926/अ-19 2002-2003 में पारित आदेश दिनांक 25-8-2006 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनुचित तथा प्रकरण के अभिलेख के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(2) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि पर आवेदक का दिनांक 2-10-198 के पूर्व से निरन्तर वास्तविक आधिपत्य चला आ रहा था । तहसील न्यायालय ने विधिवत् कार्यवाही के पश्चात आवेदक के हित में पात्रता के अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक 213/1 क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर का व्यवस्थापन किया था जिसे निरस्त करने में पुनरीक्षण न्यायालयों ने

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–1880–दो/06 **जिला** – टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/1/18	प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार निमाड़ी ने अपने आदेश दिनांक 06.01.2003 द्वारा ग्राम रामनगर स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 213/1 रकवा 1.000 हे. का पट्टा आवेदक सुरेन्द्र कुमार को स्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध अनावेदक द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत निगरानी को कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.09.2003 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा निरस्त करते हुए शासकीय दर्ज किए जाने का आदेश दिया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी को उन्होंने अपने आदेश दिनांक 25.08.2006 द्वारा निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि वर्ष 1984 के अधिनियम के तहत आवेदक का 0.809 हैक्टर भूमि पर व्यवस्थापन हुआ था । अनावेदक ने निगरानी की जो कलेक्टर ने इस आधार पर स्वीकार की कि आवेदक के पिता के पास भूमि है । कलेक्टरी का निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं है क्योंकि आवेदक के 2 भाई हैं और यदि पिता के पास जो जमीन है उसका काल्पनिक बटवारा किया जाये तो आवेदक के पास उक्त जमीन का 1/4 भाग आएगा उक्त भूमि को तथा आवेदक को व्यवस्थापित की गई भूमि 0.809 हैक्टर को मिलाकर भी आवेदक के पास 2.00 हैक्टर से कम भूमि होती है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत नहीं है और उसकी पुष्टि करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । 4/ अनावेदक/चतुर्वेदी – अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में आवेदक को ग्राम रामनगर स्थित भूमि सर्वे नंबर 213/1 रकबा 0.809 हैक्टर का व्यवस्थापन म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत किया गया है । आवेदक का यह तर्क उचित है कि आवेदक के पिता के नाम जो भूमि है उसका काल्पनिक बटवारा करने पर उसके हिस्से में 1/4 भूमि आयेगी और उस भूमि को मिलाकर तथा आवेदिक को व्यवस्थापित की गई भूमि को मिलाकर आवेदक के पास 2.000 से कम भूमि ही होती है । परंतु उक्त अधिनियम के अंतर्गत जिस व्यक्ति को भूमि व्यवस्थापित की जा रही है, उसका व्यवस्थापित की जा रही भूमि पर वर्ष 1984 के पूर्व का कब्जा होना आवश्यक है परंतु इस प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख में संलग्न नहीं है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि आवेदक का व्यवस्थापित की गई भूमि पर वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा था । अतः कलेक्टर ने यह मानकर कोई त्रुटि नहीं की गई है कि आवेदन उक्त अधिनियम के तहत भूमि पाने की पात्रता नहीं रखता । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, उनके द्वारा कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । **(एम. गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य** **राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,** **ग्वालियर**	